2014/00004

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
बइजलास – यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 215/2018

बनाम प्रतिवादीगण

वादी
1.सखीमोहम्मद पुत्र मीरमोहम्मद जति सिन्धी निवासीयान भाटियों कि ढाणी (ननेऊ) तहसील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

1. अब्दुल मजीद पुत्र मीरमोहम्मद
2. बशीर मोहम्मद पुत्र मीरमोहम्मद
3. मेहरदीन पुत्र मीरमोहम्मद जति सिन्धी निवासीयान भाटियों कि ढाणी (ननेऊ) तहसील फलोदी
4. तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद 53,188,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
श्री रेवन्तसिंह पातावत अधिवक्ता वादी
श्री जमालदीन अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक :– 08-09-2020

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भाटियों की ढाणी पटवार सर्कल ननेउ तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 116/4 रकबा 60.05 बीघा व खसरा नम्बर 116/6 रकबा 12.14 बीघा भूमि किस्म बारानी –3 स्थित है उक्त भूमि में वादी खातेदार काश्तकार अंकित था जिसमें वादी ने अपने खातेदारी की काश्त भूमि में से 12 .14 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को दिनांक 8.02.1995 को जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख के अपने खातेदारी के खेत में से दक्षिण दिशा की भूमि हस्तान्तरण कर मौके पर वास्तविक एंव भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया और उत्तर दिशा की 60 बीघा 5 बिस्वा भूमि जो संलग्न नजरी नक्शा में ए बी सी डी से बताई है उस पर वादी बहैसियत खातेदार कृषक काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को विक्रय विलेख से जरिये हस्तान्तरण करने के बाद अपने पास उत्तर दिशा की भूमि रखते हुए विक्रय की गई भूमि के पूरब में सडक तथा पश्चिम में इसी खसरा की अन्य हिस्सेदारों के नाम की भूमि और उत्तर में अपने स्वयं की शेष भूमि दर्शाते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को भूमि विक्रय कर मौका पर कब्जा सुपुर्द किया इसी माफिक वादी और प्रतिवादीगण का अपनी अपनी काश्त भूमि पर अलग अलग कब्जा काश्त आज तक निरन्तर चला आ रहा है वादी की अपने उत्तर के हिस्से में 3 आवासीय ढाणी पानी के कुण्ड तथा कृषि नलकुप है तथा सिंचित फसलें करता आ रहा है एवं सडक की तरफ फसल सुरक्षा हेतु तारबंदी की हुई है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वर्तमान समय में सडक से पास जमीन की कीमतें बढ जाने से उनके दिल में बदयान्ती आ गई है एंव अपनी कयशुदा कब्जा काश्त की भूमि को छोडकर वादी और उसके परिवार की संलग्न नजरी नक्शा में बताई ए बी सी डी 60.05 बीघा भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर गैर कानूनी तरीके से कानून हाथ में लेकर कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमादा हो आये है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई जायज हक हासिल नहीं है। वादी के नाम खसरा संख्या संख्या 116/4 रकबा 60.05 बीघा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की कयशुदा खसरा नम्बर 116/6 रकबा 12.14 बीघा भूमि ग्राम भाटियों का विभाजन मीटस एण्ड बाउण्डस में वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा मार्क ए बी सी डी के माफिक अलग करवाई जावे तथा राजस्व रिकार्ड के नक्शा में माफिक नजरी नक्शा रिकार्ड में अमल दरामद तरमीम अंकित कर दर्ज करवाई जावें।

[illegible]वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] ने अपना वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया व प्रतिवादीगण संख्या [illegible] 2 को न्यायालय समय में बार बार रूक रूक कर आवाजें लगाई [illegible] हुआ बाद इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। [illegible]

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 13:31:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश कर बताया की वादी प्रतिवादीगण व उसके भाईयों के पूर्वजो के नाम ग्राम भाटियों की ढाणी ननेउ में मूल खसरा संख्या 116 रकबा 603 बीघा का था जिसमें वादी व प्रतिवादीगण के पिता मीरमोहम्मद का 1/2 हिस्सा में 301.11 बीघा आई थी जिनकी जाईन्दा संतान में 8 पुत्र हुये। जिसमें से अकेले वादी ने 72 .19 बीघा भूमि षडयन्त्र पुर्वक अपने नाम करवाली जबकी उसके हक में 38 बीघा जमीन ही आती थी वादी ने 12.14 बीघा भूमि प्रतिवादीगण को बैचान कर दी फिर भी वर्तमान में 60.05 बीघा वादी के नाम खातेदारी है। वादी उक्त खसरे में मात्र 38 बीघा पाने का ही अधिकारी है। और 38 बीघा पर ही वादी का कब्जा काश्त है वादी का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा नही है

प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार बाप की और से जवाब पेश हुआ जिसमें बताया की वादी के नाम खसरा संख्या संख्या 116/4 रकबा 60.05 बीघा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की कयशुदा खसरा नम्बर 116/6 रकबा 12.14 बीघा भूमि का माफिक बैचाननामा दस्तावेज एंव वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार विभाजन बाई मिटस एंव बाउण्डस के तहत किया जावें वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को गुणागण के आधार पर किया जाना उचित है जिसमें कोई राजहित प्रभावित नहीं होगा।

पत्रावली में तनकीयात कायम कर शामिल पत्रावली की गई। बाद वादी साक्ष्य के लिये वादी स्वंय उपस्थित जिनके बयान कलंबद्ध किये गये। अधिवक्ता प्रतिवादी को वादी साक्ष्य की जिरह करने के कई अवसर दिये जाने के बाद भी अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित नही हुए बाद जिरह बंद की गई। अधिवक्ता वादी ने वादी साक्ष्य के लिए आमदीन पुत्र लालदीन का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया अधिवक्ता वादी और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी साक्ष्या बंद किया गया बाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये लेकिन अधिवक्ता प्रतिवादी दारा साक्ष्या पेश नही करने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद किये गये ।

उभयपक्ष अधिवक्ता कि बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन व मनन से उक्त खसरान की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन नहीं होने से बाई मिट्स एंड बाउण्डस् में विभाजन कि प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। जिस पर तहसीलदार फलोदी को विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में दो प्रतियों में अलग अलग कलर दर्शाते हुए पेश करने का आदेश जारी किया गया।

तहसीलदार फलोदी द्वारा माफिक आदेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश होने पर दिनांक 05.08.2020 को शामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन कर वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है ग्राम भाटीयों की ढाणी पटवार सर्कल ननेऊ तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 116/4 रकबा 60.05 बीघा व खसरा संख्या 116/6 रकबा 12.14 बीघा कुल रकबा 72.19 बीघा भूमि का बंटवाड़ा वादी संख्या 1 के बंट में खसरा संख्या 116/4 रकबा 60.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट में खसरा संख्या 116/6 रकबा 12.14 बीघा सम्पूर्ण भूमि रखी जाती है। तहसीलदार फलोदी इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। इसी माफिक अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/09/2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 13:31:51 IST
Reason: SelfAttested

मजिस्ट्रेट ... फलौदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी

1.सखीमोहम्मद पुत्र मीरमोहम्मद जति सिन्धी निवासीयान भाटियों कि ढाणी (ननेऊ) तहसील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अब्दुल मजीद पुत्र मीरमोहम्मद
2. बशीर मोहम्मद पुत्र मीरमोहम्मद
3. मेहरदीन पुत्र मीरमोहम्मद जति सिन्धी निवासीयान भाटियों कि ढाणी (ननेऊ) तहसील फलोदी
4. तहसीलदार, बाप

दावा अन्तर्गत धारा 53,188, राज. काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 215/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री रेवंत सिंह पातावत अधिवक्ता मिनजानिब व जमालदीन मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है ग्राम भाटीयों की ढाणी पटवार सर्कल ननेऊ तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 116/4 रकबा 60.05 बीघा व खसरा संख्या 116/6 रकबा 12.14 बीघा कुल रकबा 72.19 बीघा भूमि का बंटवाड़ा वादी संख्या 1 के बंट में खसरा संख्या 116/4 रकबा 60.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट में खसरा संख्या 116/6 रकबा 12.14 बीघा सम्पूर्ण भूमि रखी जाती है। तहसीलदार फलोदी इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

तामील याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प	–	–
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनतनामा वकील			मेहनतनामा वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मिजान			मिजान		

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.25 13:31:51 IST
Reason: SelfAttested